

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -51

प्रकरण क्रमांक- SM-PRO-2023-01917

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "चन्द्रा आईकॉन" प्रमोटर-श्री बालकृष्ण होटल्स प्रा.लि. द्वारा-(01) श्री सरोज पुरोहित, (02) मेसर्स बालकृष्ण होटल प्रा.लि. पता-होटल मीरा, एम.जी. रोड, रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 06/10/2023 | <p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री सर्वेश खटनानी उपस्थित ।</p> <p>अनावेदक अभिभाषक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण के अंतरिम आदेश दिनांक 12/07/2023 के अनुपालन में कंडिका-1 में आरोपित शास्ति की राशि 1,00,000/- दिनांक 03/08/2023 को चालान के माध्यम से निर्धारित शासकीय मद में बैंक में जमा कराया गया है । कंडिका-2 के अनुसार प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित सभी लंबित व त्रुटीपूर्ण जानकारी का संशोधित एनेक्चर-3,4,5 एवं 19 प्रस्तुत किया गया है । प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर में नया विनिर्दिष्ट खाता क्रमांक-86970200001562 खोला गया है । उपरोक्त से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया ।</p> <p>उक्त संबंध में रजिस्ट्रार रेरा से प्राप्त प्रतिवेदन में अनावेदक द्वारा त्रुटीपूर्ण एवं लंबित दस्तावेजों की संशोधित प्रति एनेक्चर 3,4,5 एवं 19 प्रस्तुत किया गया है प्रतिवेदित किया है जिससे अनावेदक अभिभाषक के अभिकथनों एवं दस्तावेजों की पुष्टी होती है ।</p> <p>प्रकरण में प्राधिकरण के अंतरिम आदेश दिनांक 12/07/2023 का अनोवदक द्वारा पालन किया जा चुका है । किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं हैं । अतएव प्रोजेक्ट में क्रय-विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध शिथिल किया जाता है, उक्त संबंध में कलेक्टर, जिला-रायपुर एवं जिला पंजीयक, जिला-रायपुर को पृथक से पत्र प्रेषित किया जावे । बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर को प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के रेरा विनिर्दिष्ट खाते से नियमानुसार राशि की लेन-देन पर लगायी गयी प्रतिबंध शिथिल किया जाता है संबंधित बैंक को नियमानुसार राशि की लेन-देन की प्रक्रिया जारी करने पृथक से पत्र प्रेषित करें ।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है । अभिलेख कोष्ठ में दाखिल हो ।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p> | |

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -51

प्रकरण क्रमांक- SM-PRO-2023-01917

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "चन्द्रा आईकॉन" प्रमोटर-श्री बालकृष्ण होटल्स प्रा.लि. द्वारा-(01) श्री सरोज पुरोहित, (02) मेसर्स बालकृष्ण होटल प्रा.लि. पता-होटल मीरा, एम.जी. रोड, रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | |

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -51

प्रकरण क्रमांक- SM-PRO-2023-01917

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "चन्द्रा आईकॉन" प्रमोटर-श्री बालकृष्ण होटल्स प्रा.लि. द्वारा-(01) श्री सरोज पुरोहित, (02) मेसर्स बालकृष्ण होटल प्रा.लि. पता-होटल मीरा, एम.जी. रोड, रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|